

महिला उत्पीड़न : एक सामाजिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण

¹रुचि जायसवाल

¹सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी, महोबा उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है यह श्लोक यह दर्शाता है कि प्राचीन वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी थी। किंतु वैदिक काल के पश्चात जब मध्यकाल में आपस में होने वाले युद्धों युद्ध के फल स्वरूप धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति बिगड़ती चली गई और प्रत्येक युद्ध के दौरान महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता था। इनसे बचने के लिए महिलाओं के लिए बहुत सारे सामाजिक नियम कानून बना दिए गए किंतु बाद में यही नियम महिलाओं के लिए सदैव बंधनकारी हो गए और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का रूप ले लिया जैसे की सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कम आयु में विवाह, बहु पत्नी प्रथा आदि। वर्तमान समय में इन कु प्रथाओं का उन्मूलन हो चुका है और महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी हैं।

शब्द संक्षेप— महिला कानून, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं एक वैज्ञानिक विश्लेषण।

Introduction

सरकारी और निजी कार्यालय में महिलाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है किंतु सामाजिक अपमान के डर से महिलाएं उत्पीड़न को बर्दाश्त करती चली जा रही हैं। सामान्यतया महिलाओं की शारीरिक क्षमता पुरुषों से कम होती है और ऐसा एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन आदि हार्मोन्स के कारण होता है। वर्तमान में हमारे समाज का ताना-बाना कुछ ऐसा है कि घर की सारी जिम्मेदारी महिला की ही होती है। ऐसे में यदि कामकाजी महिला है तो उसे पुरुषों की अपेक्षा दोहरा काम करना पड़ता है घर का भी और कार्यालय का भी। ऐसे में कई बार अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ काम करने के पश्चात भी महिलाएं कहीं ना कहीं चूक ही जाती है और यही चूक बाद में महिला उत्पीड़न का रूप ले लेती है। जिसका प्रारंभ घर में या कार्यालय में कहीं से भी हो सकता है और सामाजिक दबाव के फल स्वरूप वह अपने प्रति उत्पीड़न को सहती रहती हैं।

40 वर्ष की उम्र के पश्चात जब महिलाएं मेनोपॉज की अवस्था से गुजरती है तो उनमें कई हार्मोनल चेंजेज होते हैं और इस क्रिटिकल पीरियड में महिलाएं विभिन्न प्रकार की अस्वस्थता से गुजरती हैं ऐसे में कई बार घर के और ऑफिस की कार्य क्षमता में कमी आने से परिवार और कार्यालय दोनों ही महिलाओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया नहीं अपनाते हैं और महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं जबकि यह उनकी प्रकृति प्रदत्त कठिनाई रहती है। वर्तमान में आवश्यकता है कि महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ नियम कानून और बनाए जाएं जैसे की हर 15 दिन में कार्यालय में डॉक्टर की विजिट कराई जाए। एवं हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी व्यवस्था कार्यालय में हो। 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को विशेष चिकित्सा सुविधा एवम् तत्संबंधी

अवकाश भी प्रदत्त किया जाए। समाज और परिवार के सदस्यों को हमारी संस्कृति और नारी सम्मान के प्रति जागरूक किया जाए।

शोध पत्र का उद्देश्य महिला उत्पीड़न का सामाजिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कर समाज में नारी सम्मान नारी सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थिति— वैदिक काल में महिलाओं की समाज में स्थिति सम्मानप्रद थी लोपामुद्रा, विश्वावारा, देवयानी, इंद्राणी घोष एल आदि स्त्रियां प्रमुख थी गार्गी अपाला मैत्रेयी जैसी विदुषियां इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उन्हें धार्मिक क्रिया कलाप में पुरोहितों एवं ऋषियों का दर्जा प्राप्त था। वे धर्मशास्त्रार्थ में भी भाग लेती थीं। उन्हें पुरुषों के समान ही सारे अधिकार प्राप्त थे किंतु उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति बदतर होती चली गई। उत्तर वैदिक युग में बेटी के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था इस काल में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगनी शुरू हो गई और यज्ञ आदि से महिलाओं को वर्जित कर दिया गया मनु और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृति कारों ने स्त्री पर कई प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किया मनु ने कहा था कि बाल्यावस्था में महिला पिता के संरक्षण में यमुनावस्था में पति के और पति के जाने के बाद में पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के कारण स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। महिला उत्पीड़न एक सामाजिक व्यवहार सा बन गया। मुगल आक्रांताओं के कारण परदा प्रथा, राजपूतों में जौहर एवं बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिमों में महिलाएं जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित थी। आर्य समाज आदि समाज – सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ कई समाज सुधारक जैसे कि दयानंद सरस्वती राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर केशव चंद्र सेन ने इस उत्पीड़न के प्रति आवाज उठाई एवं तत्कालीन अंग्रेजी शासन में सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, एज आफ कन्सटेन्ट बिल 1891 आदि बिल पारित किए गए और इनका समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। इन परिस्थितियों के बाद भी महिलाओं ने शिक्षा राजनीति, साहित्य, और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। एकमात्र महिला सम्राज्ञी रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया गोंड की रानी दुर्गावती ने 1564 से 15 साल तक एवं चांद बीबी ने 1590 में अहमदनगर की रक्षा की राजकुमारी जहाँआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवयित्रियाँ थीं शिवाजी की माँ जीजाबाई कुशल योद्धा और प्रशासक थी। मीराबाई, संत – कवयित्रियों में अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देव भक्ति आंदोलन के द्वारा सामाजिक न्याय और समानता बात की।

इसके पश्चात सिक्ख गुरुओं ने महिलाओं को धार्मिक संस्थाओं का नेतृत्व करने, धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने विवाह और दीक्षा में समानता, युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व करने एवम महिलाओं की समानताओं के प्रयास किये एवं उपदेश दिए। मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में महिलाओं की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, यह है – हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरुषों को भिन्न – भिन्न भूमिकाएं निभानी चाहिए। महिलाएं मां की भूमिका निभायें एवं घर संभालें तथा पुरुष सामाजिक और आर्थिक कार्यों में अपनी भूमिका निभायें।

महिला उत्पीड़न का सामाजिक पहलू— समाज में महिलाओं की दयनीय दशा एवं उत्पीड़न का कारण निम्न लिखित है। स्त्री-पुरुष के बीच दोहरे मानदंड : भारतीय समाज में पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों से दोगुना दर्जे का व्यवहार किया जाता है बेटा और बेटी के पालन-पोषण में भी भेदभाव किया जाता है। अशिक्षा व निरक्षरता: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है शिक्षा के अभाव में महिलाएं विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं और अपने खिलाफ उत्पीड़न को बर्दाश्त करती रहती हैं।

आत्मनिर्भरता का अभाव :— संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञता; घरेलू हिंसा, घर तथा कार्यस्थलों पर यौन शोषण, दहेज, बालिका तथा भ्रूण हत्या, बालविवाह देह व्यापार, सार्वजनिक जीवन में सीमित सहभागिता है, विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं, सामाजिक मानदंड: पुरुषत्व और स्त्रीत्व से संबंधित कुछ सामाजिक मानदंड यौन उत्पीड़न का कारण बनते हैं। जैसे कि, कुछ पुरुष यह मान सकते हैं कि महिलाओं के प्रति यौन संबंध बनाना उनका अधिकार है, और कुछ महिलाओं को यह महसूस हो सकता है कि उनसे इस तरह के व्यवहार को अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार से शक्ति असंतुलन लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है।

महिला उत्पीड़न का वैज्ञानिक पहलू— वर्तमान समय में महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी हैं। सरकारी और निजी कार्यालय में महिलाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है किंतु सामाजिक अपमान के डर से महिलाएं उत्पीड़न को बर्दाश्त करती चली जा रही हैं। सामान्यतया महिलाओं की शारीरिक क्षमता पुरुषों से कम होती है और ऐसा एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन आदि हार्मोन्स के कारण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ब्रेन के सबकॉर्टिकल एरिया को उत्तेजित करता है जो कि पुरुष के आक्रामक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि कोर्टिसल एंड सेरोटोनिन इस हार्मोन्स की एक्टिविटी को अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन पुरुषों कोर्टिकल एरिया (सेरेब्रल कोरटेक्स) जितना अधिक विकसित होता है उतना ही एग्रेसिवनेस बढ़ता जाता है। और इसी के कारण सामाजिक संबंधों में कटुता आती है और कई मामलों में महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं। बिल्लियों पर किये गये एक अध्ययन से ज्ञात हुआ मेल बिल्लियों का सेरेब्रल कोरटेक्स अधिक डेवलप होता है वह अधिक आक्रामक होती है यदि सेरेब्रल कोरटेक्स का कुछ पार्ट में घाव कर दिया जाए तो उनकी आक्रामकता में कमी आ जाती है मानव समाज में आक्रामकता को कम करने के लिए धर्म समाज संस्कार आदि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योग, ध्यान, आसन से शुद्ध चित् और मनोवृत्ति होती है एम ए ओ ए (मोनोऑमिन ऑक्सीडेस) जो की एक्स क्रोमोजोम पर रहता है इसे भी वॉरियर जीन कहा जाता है इसके डिफेक्टिव होने पर भी आक्रामकता बढ़ती है क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन को या ब्लॉक करने का काम करता है इसके अलावा डी ए टी 1 जीन भी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार होता है। लगभग 40 वर्ष की उम्र के पश्चात जब महिलाएं मेनोपॉज की अवस्था से गुजरती हैं तो उनमें कई हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और इस क्रिटिकल पीरियड में महिलाएं विभिन्न प्रकार की अस्वस्थता से गुजरती हैं ऐसे में कई बार घर के और ऑफिस की कार्य क्षमता में कमी आने से परिवार और कार्यालय

दोनों ही महिलाओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया नहीं अपनाते हैं और महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं जबकि यह उनकी प्रकृति प्रदत्त कठिनाई रहती है।

निष्कर्ष— पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाएं हमेशा से उत्पीड़ित रही हैं किन्तु उत्कृष्ट समाज और उत्कृष्ट राष्ट्र का स्रोत स्त्री ही होती है वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किया जा रहे हैं मिशन शक्ति बालिका शिक्षा स्वस्थ सहायता समूह आदि इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है, किन्तु वर्तमान में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास जारी है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य उन्हें पुरुषों के साथ समान अधिकार दिलाने में मदद करना है। इससे महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार आएगा। शिक्षा के माध्यम से कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। सन 2001 में "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति" बनाई गई ताकि महिलाएं आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें एवं अपने समस्त मौलिक अधिकारों मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकें और सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से अर्थव्यवस्था, समाज और देश मजबूत होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को जन आंदोलन बनाया जाना जरूरी है। ज्यादा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं का मतलब ज्यादा प्रगतिशील समाज जो कि स्वस्थ, सुरक्षित और समानता का पक्षधर होता है। वर्तमान समय में बच्चों को परिवार एवं विद्यालय स्तर से ही महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। परिवारजनों को पुत्र और पुत्री के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। शासन के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तथा महिलाओं के प्रति समाज को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं से सम्बन्धित मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। एवम इन सभी मामलों की रिपोर्ट, जांच एवं न्यायालयी कार्यवाही महिला पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों एवं महिला न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH अधिनियम, 2013) का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी महिला उत्पीड़न समाज से धीरे-धीरे खत्म होगा और समाज और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और विकसित भारत का हम सभी का सपना साकार होगा।

संदर्भ सूची—

- 1 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
- 2 Batrinos ML. Testosterone and aggressive behavior in man. Int J Endocrinol Metab. 2012 Summer;10(3):563-8. doi: 10.5812/ijem.3661. Epub 2012 Jun 30. PMID: 23843821; PMCID: PMC3693622.
- 3 Tuvblad C, Baker LA. Human aggression across the lifespan: genetic propensities and environmental moderators. Adv Genet. 2011;75:171-214. doi: 10.1016/B978-0-12-380858-5.00007-1. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Chen C, Liu C, Chen C, Moyzis R, Chen W, Dong Q. Genetic variations in the serotonergic system and environmental factors contribute to aggressive behavior in Chinese adolescents. Physiol Behav. 2015;138:62-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.09.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- 5 श्रीवास्तव के0 सी0 प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति ।